रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11042022-235039
CG-DL-E-11042022-235039

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1682]	नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 11, 2022/चैत्र 21, 1944
No. 1682]	NEW DELHI, MONDAY, APRIL 11, 2022/CHAITRA 21, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2022

का.आ. 1768(अ).—विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरूद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों से निपटने तथा उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है, यदि उसे यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है ;

और अली काशिफ जान उर्फ जान अली काशिफ पुत्र गोहर अली जन्म की तारीख 30 जनवरी, 1982, निवासी चरसाडा, खैबर पख़्तूनख्वा जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) का परिचालन कमांडर है और उसकी कोर योजना समिति में है ;

और जैश-ए-मोहम्मद उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची की क्रम संख्या 6 के अधीन आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है ;

और अली काशिफ जान भारत में पठानकोट वायु सेना स्टेशन पर हुए आतंकवादी हमले का हैंडलर था ;

और अली काशिफ जान राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी द्वारा रजिस्ट्रीकृत और अन्वेषण किए जा रहे विभिन्न मामलों में अभियुक्त है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पठानकोट वायु सेना स्टेशन पर आतंकवादी हमला शामिल है और वह इन मामलों में उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया है ;

और अली काशिफ जान पाकिस्तान में स्थित जैश-ए-मोहम्मद की लॉचिंग टुकडियों से सतत् परिचालन करता है और प्रशिक्षण के लिए काडरों को भर्ती करने तथा भारत में स्थित लक्ष्यों पर आक्रमण की योजनाओं के समन्वय में सम्मिलित रहा है ;

और अली काशिफ जान के विरूद्ध रेड कॉर्नर नोटिस सं. ए-11694/12-2016 और रेड कॉर्नर नोटिस सं. 31727-2016 जारी किए गए थे ;

और केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि अली काशिफ जान आतंकवाद में शामिल है और अली काशिफ जान उक्त अधिनियम के अधीन आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए ;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची की क्रम संख्या 33 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"34. अली काशिफ जान उर्फ जान अली काशिफ "।

[फा. सं. 11034/13/2021-सीटी-I]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

टिप्पण : विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1735 (अ). तारीख 11 अप्रैल, 2022 द्वारा पिछली बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2022

S.O. 1768(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of associations and individuals and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Ali Kashif Jan@Jan Ali Kashif S/o Gohar Ali, date of birth on the 30th January, 1982, resident of Charsadda, Khyber Pakhtunkhwa is the operational commander and part of the core planning committee of the Jaish-e-Mohammed (JeM);

And whereas, JeM is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial number 6;

And whereas, Ali Kashif Jan was the handler of Pathankot Air Force Station Terror Attack in India;

And whereas, Ali Kashif Jan is accused in various cases registered and being investigated by the National Investigation Agency, which *inter-alia* include Pathankot Air Force Station Terror Attack and he had been declared proclaimed offender in these cases;

And whereas, Ali Kashif Jan continues to operate from the JeM launching detachments located in Pakistan and is involved in recruitment of cadres for their training and co-ordinate attack plans at targets in India;

And whereas, Red Corner Notices No. A-11694/12-2016 and RCN No. 31727-2016 were issued against him;

And whereas, the Central Government believes that Ali Kashif Jan is involved in terrorism and Ali Kashif Jan should be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 33 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"34. Ali Kashif Jan @Jan Ali Kashif ".

[F. No. 11034/13/2021-CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy

Note : The Fourth Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended vide the notification number S.O 1735 (E), dated the 11th April, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.04.11 22:16:26 +05'30'